(Authoritative English Text of this department notification NoSJE-A (3) 4/2005, dated 19 March, 2007 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh
Department of Social Justice & Empowerment.
....

NoSJE-A(3)4/2005 dated, Shimla-2 the 19 March, 2007

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh , in consultation with H.P.Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of District Welfare-cum-Probation Officer, Class-II (Gazetted) in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:-

Short title and Commencement; 1(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department, District Welfare-cum-Probation Officer, Class-II(Gazetted), Recruitment and Promotion, rules, 2007

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Repeal & Savings: 2(1) The Himachal Pradesh Social & Women's Welfare Department, District Welfare-cum-Probation Officer, Class-II (Gazetted) Recruitment and Promotion rules, 1993 notified vide this Department notification No. Kalyan-A(3)-18/87 dated 21.9.1993 and as amended from time to time are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or any thing done or any action taken under the rules, so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order
Pr. Secretary (SJ&E) to the
Govt. of Himachal Pradesh.

Endst. No SJE-A(3)4/2005, dated, Shimla-2 the 19 March, 2007

Copy to.

1.All the Administrative Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2
2.Controller, Printing & Stationery Deptt., H.P., Shimla-5 for publication in the Govt. Gazette.
3. Director, Social Justice & Empowerment, H.P., Shimla-9. She is requested procure five copies of the Rajpatra from Printing and Stationery Department.
4.The Sr. Law Officer, Law Deptt.(Hindi)H.P. Secretariat Shimla-2.
5.Guard file/ 50 spare copies.

Joint Secretary (SJ&E)to the
Govt. of Himachal Pradesh.

Annexure-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DISTT WELFARE-CUM-PROBATION OFFICER (GAZETTED) CLASS-II IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH.

1.	Name of the Post:	Distt. Welfare-Cum-Probation Officer
2.	Number of posts	11(Eleven)
3.	Classification	Class-II (Gazetted)
4.	Scale of pay (be given in expanded notation)	Rs. 7000-220-8100-275-10300-340-10980.
5.	Whether Selection or Non-Selection post:	Selection
6.	Age for direct recruitment;	As may be prescribed for direct recruitment to H.P. A.S from time to time

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including these who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporation and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/ are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporation/ Autonomous Bodies after initial constitutions of the Public sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7.	Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits;	**a) ESSENTIAL:** As may be prescribed for direct recruitment to H.P.A.S from time to time. **(b) DESIRABLE QUALIFICATIONS** Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotes:	**Age:----------------------No** **Educational qualification-----------Yes.**

9.	Period of probation, if any;	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be record in writing.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post to be filled in by various methods.	(i) 75% by promotion failing which by direct recruitment or on contract basis. **(ii)** (ii) 25% by Direct recruitment or on contract basis on the basis of combined competitive Examination prescribed for selection of candidates for recruitment to the H.P.A.S and Allied Posts thereunder.
11.	In case of recruitment by promotions, deputation, transfer grade from which promotion/ deputation/ transfer is to be made;	By promotion from amongst the Tehsil Welfare Officer who possesses 6 years regular service or regular combined with continuous adhoc Service, if any in the grade and has passed the prescribed departmental examination. (1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotions Rules; Provided that In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service on adhoc basis followed by regular service appointment in the feeder post in view of the provisions referred to above all persons senior to him in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration; Provided further that all incumbents to be considered for promotions shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the Post, whichever is less; Provided further that where a junior person becomes ineligible to be considered

		for promotion on account of the recruitments of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion. **Explanation:-** The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules,(1972 and having been given the benefit of seniority)there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under. (2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service. If the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of Recruitment and Promotion Rules; Provided further that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition;	DPC to be presided over by the Chairman HPPSC or a member thereof to be nominated by him.
13.	Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment;	As required under the law.
14.	Essential requirement for direct recruitment;	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15.	Selection for appointment to post by direct recruitment.	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall made on the basis of viva-voce test and if Himachal Pradesh Public Service commission or other recruiting authorities as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard syllabus etc. of which, will be determined by the commission/other recruiting authority as the case may be.

15-A	Selection for appointment to the post by contract appointment.	**(i) <u>CONCEPT.</u>** (a) Under this policy, the District Welfare cum Probation Officer in the Department of Social Justice & Empowerment, H.P. Will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year-to-year basis. (b) **<u>Post Falls Within The Purview of HPPSC</u>** The Director, Social Justice & Empowerment after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission. (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules. (d) Contract appointee so selected under these rules will not have any right to claim for regularization or permanent absorption in the Government Job. **<u>(ii) Contractual Emoluments</u>** The District Welfare cum Probation Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 10500/- P.M.(which shall be equal to initial of the pay scale+Dearness pay). An amount of Rs 220/- as annual increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year. (iii) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY. Director of Social Justice & Empowerment H.P. will be appointing and disciplinary authority. (iv) SELECTION PROCESS. Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a

written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. HPPSC.

V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:-

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.PS.C. from time to time.

VI) AGREEMENT :

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.10500/- per month (which shall be equal to initial of the pay scale + dearness pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 220/- per annum for second and their years respectively and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given .

(b) The service of the Contractual appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c)Contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularisation in service at any state.

(d) Contractual appointee will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated upto one year. No. Leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

(e) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of

		absence from duty.
		(f) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.
		(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for fitness from an authorized Medical officer/ Practitioner.
		(h) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.
		VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT:
		The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim regularization/ permanent absorption as District Welfare cum Probation Officer in the Department at any stage.
16.	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/Sch. Tribes/Other Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17.	Departmental Examination	(1) Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Department Examination Rules, 1997.
18.	Powers to Relax:	Where the State Government. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

<u>Annexure-B</u>

Form of contract/agreement to be executed between the District Welfare-cum-Probation l Officer & the Government of Himachal Pradesh through Social Justice & Empowerment Department

This agreement is made on this-------------------day of -------------------in the year...............Between Sh/Smt./Km.........................S/o/D/o....................Shri........................R/o.............................
....
....contract appointee(hereinafter called the FIRST PARTY), And The Governor, Himachal Pradesh through Director, Social Justice and Empowerment Himachal Pradesh(here-in-after called the SECOND PARTY)The Second Party has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a District Welfare-cum-Probation Officer on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a District Welfare-cum-Probation Officer on contract basis for a period of 1 year commencing on day of.. and ending on the day of .... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on.. and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be...10500/-.............Per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization of service at any stage.

5. Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the Contractual appointee(Name of the post). He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

6. Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee(Name of the post)will not be entitle for contractual amount for the period of absence from duty.

7. Transfer of the official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidates will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

9. Contractual appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Official.

10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ....

....

....

(Name and Full Address)

(Signature of the First party)

2. ....

....

....

(Name and Full Address)

(Signature of the Second Party)

2. ....

....

....

(Name and Full Address)

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

संख्या.एस जे.ई ए(3)4 / 2005 तारीख शिमला–2 19 March, 2007

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में जिला कल्याण एवं परिवीक्षा अधिकारी, वर्ग–II(राजपत्रित)के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध –'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम,बनाते हैं, अर्थातः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1.(1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जिला कल्याण एवं परिवीक्षा अधिकारी, वर्ग–II(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 हैं ।

(2)ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

निरसन और व्यावृतियां 2.(1)इस विभाग की अधिसूचना संख्या कल्याण–ए(3)18/87 दिनांक 21.9.93 द्वारा अधिसूचित और समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश समाज एवं महिला कल्याण विभाग, जिला कल्याण एवं परिवीक्षा अधिकारी, वर्ग–II(राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1993 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(2)ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप–नियम(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कारवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा
प्रधान सचिव(सा. न्याय एवं अ. विभाग)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः.एस जे.ई ए(3)4 / 2005 तारीख शिमला–2 19 March, 2007

1.समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला –2
2.नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि.प्र., शिमला –5 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशन करने हेतू एवं उनसे अनुरोध है कि प्रकाशन के उपरान्त राजपत्र की पांच प्रतियां इस विभाग को भिजवाने की कृपा करें ।
3. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को तथा उनसे अनुरोध है कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से राजपत्र की पांच प्रतियां प्राप्त करने की कृपा करें।
4. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव(विधि)हिमाचल प्रदेश सरकार,।
5. संरक्षण नस्ति/अतिरिक्त प्रतियां
6. सहायक विधि परामर्शी एंव अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।

संयुक्त–सचिव(एस.जे.ई.)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

उपाबन्ध.क

हिमाचल प्रदेश, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में 7000—10980रूपए के वेतनमान में जिला कल्याण एवं परिवीक्षा अधिकारी, वर्ग—II (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम — जिला कल्याण एवं परिवीक्षा अधिकारी।

2. पदों की संख्याः — 11(ग्यारह)

3. वर्गीकरण — वर्ग—II(राजपत्रित)

4. वेतनमान — 7000—220—8100—275—10300—340—10980 रूपए

5. चयन पद अथवा अचयन पदः — चयन पद ।

6. सीधी भर्ती के लिए आयुः — जैसी हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं हेतु सीधी भर्ती के लिए विहित की जाएः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी;

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा;

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है;

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/ स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कमचारीवृन्द को नही दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों /स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर,निगमों/ स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात निगमों /स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए है/ किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें की पद /पदों को, यथास्थिति, आवेदन आमंत्रित किरने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7.	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**1. अनिवार्य अर्हताः** जैसी हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं हेतु सीधी भर्ती के लिए समय समय पर विहित की जाए । **2.वांछनीय अर्हताएं** हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीः	आयु : लागू नहीं शैक्षिक अर्हताः हॉ
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
10.	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।	(1)75%प्रान्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर। (2)25% सीधी भर्ती द्वारा या संविधा के आधार पर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेंवाए और उनके सहबद्ध पदों की भर्ती हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए विहित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर।

11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा ।	तहसील कल्याण अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका 06 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके छह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो। प्रोनति के सभी मामलो में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्मरण पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा,यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्मरण प्रर्वग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती
		और प्रोन्नति नियमो के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया अपनाने के पश्चात की गई थीः परन्तु उन सभी मामलो में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्मरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रर्वग /पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः परन्तु यह और की उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्युनतम अर्हता सेवा व पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे ।
		स्पष्टीकरण :– अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल(रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज)रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,

		1985 के नियम –3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो । (2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐस पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्मरण पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति /प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी : परन्तु की गई उपयुक्त निदिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना ।	विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या उस द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी।
13.	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
15.	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः	सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठ्यक्रम यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15 –क	संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन ।	(i) **संकल्पनाः** (क)इस पालिसी के अधीन सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश में जिला कल्याण एवं परिवीक्षा अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्षा आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।
	पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र मे आनाः	(ख)निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।
		(ग)चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।
		(घ)इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा(जॉव) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

	I	(ii) **सविदात्मक उपलब्धियाः** संविदा के आधार पर नियुक्त जिला कल्याण एवं परिवीक्षा अधिकारी को 10500/–. रूपए की संविदात्मक रकम (जो प्रारम्भिक वेतनमान जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जायेगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियो में 220/– रूपए वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात किए जाएगे।
		(iii) **नियुक्ति /अनुशासन प्राधिकारी** निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
		(iv) **चयन प्रकिया** संविदा पर नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठयक्रम सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा
		(V) **संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समितिः** जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हि. प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा समय –समय पर गठित की जाए ।
		(vi) **करारः** अभ्यर्थी को चयन के पश्चात इन नियमो से संलग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।
		(vii) **निबन्धन एवं शर्ते** (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 10500/– रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो प्रारम्भिक वेतनमान जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 220/– रूपए की दर से वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/ चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
		(ख)संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतयः अस्थाई आधार पर होगी । नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है ।
		(ग)संविदात्मक नियुक्ति पदधारी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नही करेगी।
		(घ)संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई

		अवकाश अनुज्ञात नही होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नही होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।
		(ड)नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नही होगा।
		(च)संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नही किया जाएगा।
		(छ)चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
		(ज)संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते /दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
		(V iii) **नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार** इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए अभ्यर्थी को किसी भी दशा में विभाग में जिला कल्याण एंव परिवीक्षा अधिकारी के रूप में नियमितिकरण / स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
	16 आरक्षण	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछडे वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदशों के अधीन होगी ।
	17. विभागीय परीक्षा	सेवा में प्रत्येक सदस्य को हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा उतीर्ण करनी होगी ।
	18 शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

जिला कल्याण एंव परिवीक्षा अधिकारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाले संविदा / करार का प्ररूप।

यह करार श्री /श्री मति.....................................पुत्र /.पुत्री श्री.................................. निवासी...संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.......................... को किया गया।

और द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने जिला कल्याण एवं परिवीक्षा अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि प्रथम पक्षकार जिला कल्याण एवं परिवीक्षा अधिकारी के रूप में ....से प्रारम्भ होने और...........को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में होगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात....... ....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (पर्यवसित) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 10500/ – रूपए प्रतिमास होगी
3 **प्रथम पक्षकार** की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नही पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित)की जाने के लिए दायी होगी ।
4 संविदात्मक नियुक्ति, किसी भी दशा में नियमित सेवा के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।
5 संविदा पर नियुक्त जिला कल्याण एवं परिवीक्षा अधिकारी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा । वह चिक्त्सिा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।
6 नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का समापन (पर्यावसान) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन का हकदार नहीं होगी ।
7 संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा ।
8 चयनित अभ्यर्थी को सरकारी /रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिक्त्सिा अधिकारी /व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

9 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

10 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों)को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ इ.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए है।

साक्षी की उपस्थिति में

1............................
....
....
(नाम व पूरा पता)

2...............................
....
....
(नाम व पूरा पता) प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षी की उपस्थिति में

1......................................
....
....
(नाम व पूरा पता)

2...
....
....
(नाम व पूरा पता) द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर